

कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।
आदेश

दिनांक 30.07.2016 को बेगूसराय जिला के लिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजरर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी के अमोनियम सल्फेट कुल 450.00 मे टन का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे बेगूसराय रैक बिन्दु से उठाव किया जाना है। प्रधान सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 88 दिनांक 21.01.2015 के द्वारा पैक्सो को 15 प्रतिशत उपावंटन किये जाने का निर्देश प्राप्त है।

अतः उक्त उर्वरक की कुल मात्रा मे से फॉर्म 'ओ' के अनुसार प्रखंडवार निबंधित पैक्सो को कुल आवंटन का 15 प्रतिशत अमोनियम सल्फेट कुल 68.00 मे टन तथा खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को अमोनियम सल्फेट कुल 382.00 मे टन उर्वरक उपावंटित किया गया है जिसका प्रखंडवार विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	मे० विश्वनाथ प्रसाद राजाराम कचहरी रोड बेगूसराय।	मे० देवी प्रसाद मसकरा कचहरी रोड बेगूसराय।	खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं के लिए उपावंटित उर्वरक की मात्रा (मे० टन)	पैक्सो को उपावंटित उर्वरक की मात्रा (मे० टन मे)	प्रखंडवार पैक्सो को निम्न श्रेणियों द्वारा उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी	गोदाम का पता	कुल उपावंटित उर्वरक की मात्रा (मे० टन)
1	बेगूसराय	37		37	7			44
2	मटिहानी	36		36	6			42
3	बरोनी	23		23	4			27
4	वीरपुर	14		14	3			17
5	शाम्हो	20		20	3			23
6	तेघड़ा	26		26	5			31
7	बछवाड़ा	33		33	6			39
8	भगवानपुर	27		27	5			32
9	मसूरचक	14		14	3			17
10	बलिया	34		34	5			39
11	सा० कमाल	29		29	5			34
12	डंजरी	14		14	2			16
13	चौ० बरियारपुर	14		14	3			17
14	छौड़ाही	8		8	2	मे० देवी प्रसाद मसकरा	गोदाम संख्या-10 बाजार समिति बेगूसराय।	10
15	खोदावंदपुर	11		11	2			13
16	बखरी		15	15	3	मे० विश्वनाथ प्रसाद राजाराम	बिहार राज्य बीज निगम गोदाम, खातोपुर	18
17	गढपुरा		13	13	2			15
18	नावकोठी		14	14	2	मे० देवी प्रसाद मसकरा	गोदाम संख्या-10 बाजार समिति बेगूसराय।	16
19	पैक्स	60	8					
	कुल	400	50	382	68			450

संबंधित श्रेणियों उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि बेगूसराय रैक बिन्दु से उक्त उर्वरक का उठाव कर अपने गोदाम में भंडारित करें तथा संबंधित गोदाम से उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सलगन विवरणी के अनुसार संबद्ध निबंधित पैक्सो/खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। पैक्सो द्वारा 15 दिनों के अंदर उठाव नहीं करने की स्थिति में उसी प्रखंड के खुदरा उर्वरक बिक्रेता को उपावंटित मात्रा उपलब्ध करा देगे। विभागीय निर्देश के आलोक में 20 प्रतिशत उर्वरक की मात्रा सुरक्षित रखी जाय तथा अमाले रैक के आने पर सुरक्षित उर्वरक का वितरण संबंधित प्रखंडों में किया जाय।

जिन्ना कृषि पदाधिकारी,
बेगूसराय।
21/7/16

ज्ञापक..... 1206 /दिनांक 05-08-16

प्रतिलिपि:- संबंधित थोक विक्रेता/संबद्ध निर्बंधित पैक्स अध्यक्ष बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- एरिया मैनेजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि संबद्ध पैक्सो/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का मण्डार सत्यापन कर निर्धारित मूल्य पर कृषकों के बीच उर्वरकों का वितरण एवं उसका सत्यापित सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आइ०टी० मैनेजर, बेगूसराय को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से संबद्ध पैक्सो / प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को संसूचित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- उपविकास आयुक्त, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त निर्देशक (शष्य) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला कृषि पदाधिकारी,
BHO, बेगूसराय।
02.8.16